कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2019–20 दिनांकः–30-05-19

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा–मुख्यालय,
समस्त ......

विषयः– गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2019–20 में क्रमोन्नति एवं अन्य मान्यता संबंधित ऑन लाइन स्वीकृति प्रदान करने हेतु पोर्टल खोलने के संबंध में।

प्रसंगः– प.9 (5) शिक्षा–5/ऑनलाइन मान्यता/2019–20/पार्ट–2 जयपुर दिनांक 29.05.19 के क्रम में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2019–20 में क्रमोन्नति एवं अन्य मान्यता संबंधित ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल को निम्न अनुसार खोलने की अनुमति जारी की जाती हैः–

क.सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम
1	दिनांक 20.3.19 तक विलम्ब शुल्क सहित आवेदन करने वाले एवं दिनांक 22.3.19 तक हार्ड कॉपी जमा कराने वाले विद्यालयों के आवेदन पत्रों की ऑनलाइन जॉच सत्यापन दलों का गठन एवं संस्थाओं का जिशिअ. स्तर से भौतिक सत्यापन एवं अपलोड कर निदेशालय को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाना	30 मई से 04 जून 2019 तक
2	मान्यताओं का निदेशालय से अनुमोदन किया जाना	12 जून 2019 तक
3	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाएं जाने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि के डीडी. व फिक्सड डिपोजिट का विवरण व दस्तावेज प्राप्त करना	18 जून 2019 तक
4	मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना	20 जून 2019 तक
5	मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित करना एवं एनआईसी. के माध्यम से सूचित कराना	21 जून 2019 तक
6	पुनः निरीक्षण हेतु आवेदन शुल्क रूपये 10,000/–सहित परिवेदना निदेशक को प्रस्तुत करना (शुल्क का ड्राफ्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा के नाम से)	28 जून 2019 तक
7	पुनः निरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण की समस्त कार्यवाही सम्पादित करना, विद्यालयों को आदेश उपलब्ध करवाना	07 जुलाई 2019 तक

इस क्रम में आपको पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त टाइम फ्रेम की अक्षरशः पालना कराते हुए प्राप्त समस्त प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें। अनावश्यक विलम्ब की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की व्यक्तिशः जिम्मेवारी होगी तथा इस कृत्य के लिये जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।